न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : अंशदीप, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 06/2017

प्रार्थीगण–	*बनाम*	अप्रार्थीगण–
1. सुजाराम पुत्र गिरधारीजी 2. गुमानसिंह पुत्र गिरधारीजी 3. चैनसिंह पुत्र गिरधारीजी 4. नरपतसिंह पुत्र गिरधारीजी जाति पुरोहित निवासी इन्द्राणा तहसील सिवाना जिला बाड़मेर		1. ग्राम पंचायत इन्द्राणा जरिये सरपंच 2. विशनाराम पुत्र डायाराम 3. जबराराम पुत्र डायाराम 4. जाति पुरोहित निवासी इन्द्राणा तहसील सिवाना जिला बाड़मेर 5. मेहरसिंह पुत्र शंकरसिंह 6. शंकरलाल उर्फ शंकरसिंह पुत्र पूनमाराम जाति पुरोहित निवासी इन्द्राणा तहसील सिवाना जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 39 दिनांक 19.12.2012 जो ग्राम पंचायत इन्द्राणा द्वारा बैठक दिनांक 05.08.2012 के संकल्प सं. 4 की अनुपालना में जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री मोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री रमेश सोलंकी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2व3 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं 1 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।
4. श्री नृसिंह सोलंकी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 3व4 की ओर से उपस्थित।

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 07/2017

प्रार्थीगण–	*बनाम*	अप्रार्थीगण–
1. मोहनसिंह पुत्र तुलछाजी 2. चम्पालाल पुत्र तुलछाजी 3. शैतानसिंह पुत्र तुलछाजी 4. केशरसिंह पुत्र राणाजी 5. सांवलसिंह पुत्र राणाजी		1. विशनाराम पुत्र डायाराम 2. जबराराम पुत्र डायाराम जाति पुरोहित निवासी इन्द्राणा तहसील सिवाना जिला बाड़मेर 3. सरपंच, ग्राम पंचायत इन्द्राणा

जिला कलक्टर
बाड़मेर

6. मेहरसिंह पुत्र सांवलसिंह
7. भंवरसिंह पुत्र गिरधारीसिंह
8. शैतानसिंह पुत्र बहादुरसिंह
9. तेजराजसिंह पुत्र बहादुरसिंह
10. शंकरसिंह पुत्र खंगाजी
11. बाबूसिंह पुत्र खंगारजी
12. दीपसिंह पुत्र खीमसिंह
13. गुलाबसिंह पुत्र खीमसिंह
14. नैनसिंह पुत्र खीमसिंह
15. नैमसिंह पुत्र खीमसिंह

जाति पुरोहित निवासी इन्द्राणा तहसील सिवाना जिला बाड़मेर

4. मेहरसिंह पुत्र शंकरसिंह
5. शंकरलाल उर्फ शंकरसिंह पुत्र पूनमाराम जाति पुरोहित निवासी इन्द्राणा तहसील सिवाना जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 39 दिनांक 19.12.2012 जो ग्राम पंचायत इन्द्राणा द्वारा बैठक दिनांक 05.08.2012 के संकल्प सं. 4 की अनुपालना में जारी किया गया।

उपस्थिति :-

1. श्री गणपत गुप्ता, अधिवक्ता प्रार्थीगण सं. 1से15 की ओर से उपस्थित।
2. श्री रमेश सोलंकी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1व2 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं 3 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।
4. श्री नृसिंह सोलंकी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 3व4 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 30/12/2019

1. प्रार्थीगण की ओर से यह दोनो निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत इन्द्राणा की ओर से अप्रार्थीगण विशनाराम पुत्र डायाराम व जबराराम पुत्र डायाराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 39 दिनांक 19.12.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत किये जाने पर समान पक्षकार एवं एक ही विषयवस्तु होने से उक्त दोनो निगरानी प्रार्थना पत्रों को एक संयुक्त निर्णय द्वारा निर्णीत किया जा रहा हैं तथा निर्णय की एक-एक हस्ताक्षरशुदा प्रति प्रत्येक पत्रावली पर रखी जावें।

Ansh
जिला कलक्टर
बाड़मेर

2. प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी ग्राम पंचायत इन्द्राणा द्वारा अप्रार्थी विशनाराम व जबराराम पिसरान डायाराम के पक्ष मे राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(1)(ख) के अधीन ग्राम इन्द्राणा मे ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का विक्रय विलेख सं. 39 दिनांक 19.12.2012 जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची मे वर्णित अनुसार 4500 वर्गगज दर्शाया गया है। ग्राम पंचायत इन्द्राणा द्वारा उक्त पट्टा जारी करने मे घोर अनियमितता और अवैधानिकता बरती जाने को आधार मानते हुए प्रार्थीगण ने उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

3. अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत इन्द्राणा का प्रश्नगत अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थीगण सूजाराम व अन्य की ओर से उपस्थिति अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि ग्राम इन्द्राणा की आबादी भूमि में प्रार्थीगण के दोनो आवासीय भूखण्ड आये हुए है जो उनके पूर्वजों के विगत 35 वर्षो से कब्जा हैं। अप्रार्थीगण के पक्ष में ग्राम पंचायत इन्द्राणा द्वारा 4500 वर्गगज अर्थात् 40500 वर्गफीट का आलौच्य पट्टा जारी किया गया हैं जो नियमविरूद्ध होने से निरस्त योग्य हैं। आलौच्य पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज नियमों की कोई पालना नहीं की हैं तथा उक्त पट्टा नियम 157 के अन्तर्गत जारी किया है जो पुराने निर्मित गृहों को नियमित करने हेतु ही जारी किया जा सकता हैं जबकि अप्रार्थीगण का न तो पिछले 50 वर्षों से कब्जा हैं और न ही कोई आवासीय निर्माण है। आलौच्य पट्टे से प्रार्थी सं. 1 के पट्टा सं. 23 दिनांक 23.08.1985 व प्रार्थी सं. 2 के पट्टा सं. 68 दिनांक 31.08.1986

जिला कलक्टर
बाड़मेर

की भूमि प्रभावित होकर आलौच्य पट्टे के भीतर आ जाती हैं। इस प्रकार प्रार्थीगण की भूमि का पट्टा जारी करने का ग्राम पंचायत को कोई अधिकार नही हैं लिहाजा आलौच्य पट्टा निरस्त योग्य हैं।

5. प्रार्थीगण मोहनसिंह व अन्य की ओर से अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि प्रार्थीगण के पूर्वज ग्राम इन्द्राणा के ठिकाणेदार थे तथा ग्राम इन्द्राणा की आबादी भूमि में विवादित भूखण्ड उनके पूर्वजों के समय से कब्जे मे रहे हैं। ग्राम पंचायत इन्द्राणा द्वारा बिना मौका कमेटी का गठन किये, बिना स्थल का निरीक्षण किये, बिना आपत्तियों का नोटिस जारी किये एवं पट्टे की मिसल को बिना कायम किये नियमों के प्रतिकूल उक्त भूमि का पट्टा अप्रार्थीगण विशनाराम व डायाराम के नाम जारी करने का आदेश दिनांक 15.08.2012 को पारित किया, जिसकी पालना में आलौच्य पट्टा सं. 39 दिनांक 19.12.2012 जारी किया गया। उक्त पट्टा जारी करने हेतु अप्रार्थीगण द्वारा कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया तथा न ही आवेदन फीस व नक्शा फीस ही जमा कराई गई और न ही पृथक से कोई मिसल कायम की गई। ग्राम इन्द्राणा की आबादी भूमि में प्रार्थीगण एवं अन्य लोगों के पक्के मकान बने हुए हैं जिसके अनुसार उत्तरी भुजा 414 फुट, दक्षिणी भुजा 450 फुट, पूर्वी भुजा 204 फुट व पश्चिमी भुजा 50 फुट में सभी प्रार्थीगण का कब्जा रहवास व पक्के मकान हैं जो वक्त जागीर से रहवास हैं। ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा बिना पंचायत की बैठक आयोजित नहीं की गई और न ही नियमों की पालना की गई तथा 4500 वर्गगज अर्थात् 40500 वर्गफीट क्षेत्रफल के भूखण्ड को बिना शुल्क लिये जारी कर दिया जबकि नियमानुसार 2700 वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल का पट्टा जारी नहीं किया जा सकता हैं। इस आधार पर आलौच्य पट्टा नियम विरूद्ध होने से प्रारम्भतः शुन्य होने से निरस्त योग्य हैं।

6. अप्रार्थीगण सं. 3 व 4 के योग्य अधिवक्ता ने जवाब में प्रकट किया कि ग्राम पंचायत इन्द्राणा द्वारा अप्रार्थीगण विशनाराम व जबराराम पिसरान डायाराम के कब्जे एवं रहवासीय भूखण्ड का आलौच्य पट्टा सं. 39 दिनांक

जिला कलक्टर
बाड़मेर

05.08.2012 को जारी किया गया था। अप्रार्थीगण सं. 3 व 4 ने उक्त पट्टा अन्तर्गत भूखण्ड में से एक भूखण्ड उत्तर–दक्षिण 70 फीट, पूर्व पश्चिम 35 फीट आम रास्ता इन्द्राणा से सिणेर जाने वाली सड़क पर जरिये रजिस्ट्री दिनांक 23.07.2013 को खरीद लिया तथा मौके पर कब्जा प्राप्त कर लिया था। इसके पश्चात इस पट्टे की शेष भूमि में से एक और भूखण्ड उत्तर–दक्षिण 70 फीट व पूर्व–पश्चित 35 फीट जरिये रजिस्ट्री दिनांक 30.10.2015 खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया था। उक्त दोनो ही भूखण्डों पर वक्त खरीद से आदिनांक अप्रार्थीगण सं. 3 व 4 का कब्जा स्वामित्व की हैसियत से बरकरार हैं। उक्त दोनो ही भूखण्डों पर किसी भी निगरानीकर्ता का न तो पूर्व में कब्जा था और न ही वर्तमान में हैं। प्रार्थीगण द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने की नियत से उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये हैं जो खारिज योग्य हैं।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रकट किया गया हैं कि आलौच्य पट्टा विलेख जारी करने में ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 156 से 166 में विहित प्रक्रिया का पालन नहीं किया हैं तथा न ही अप्रार्थीगण का मौके पर विवादित भूखण्ड पर कब्जा हैं। इस न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत की पत्रावली तलब किये जाने पर उपलब्ध नहीं होना अवगत कराया हैं किन्तु आलौच्य पट्टा में उल्लेखित रसीद उपलब्ध हैं। ग्राम पंचायत की पत्रावली उपलब्ध नहीं होने से उसका परीक्षण किया जाना संभव नही हैं। प्रार्थीगण द्वारा अपना कब्जा होने के प्रमाण स्वरूप बिजली व पानी के बिल की प्रतियां पेश की गई है, जिसमें कहीं भी स्पष्ट नहीं हैं कि इसी विवादित भूखण्ड से सम्बन्धित हैं तथा इसी भूखण्ड में कनेक्शन है बल्कि बिलों मे केवल इन्द्राणा का होना अंकित हैं। अप्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत इन्द्राणा का पत्र दिनांक 13.09.2019 प्रस्तुत किया एवं शुल्क रसीद की प्रतियां प्रस्तुत की गई। ग्राम पंचायत के उक्त पत्र के आधार पर आलौच्य पट्टा सम्बन्धी पत्रावली नहीं होने पर भी आधार हैं।

जिला कलक्टर
बाडमेर

जहां तक अधिवक्ता प्रार्थीगण का कथन हैं कि आलौच्य पट्टा 40500 वर्गफीट का दिया गया है तथा नियमानुसार 2700 वर्गफीट से अधिक पट्टा नियम 157 के अन्तर्गत नहीं दिया जा सकता है, के संबंध में पंचायतीराज विभाग की अधिसूचना दिनांक 11.02.2013 का अवलोकन किया, जिसके अनुसार इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व 300 वर्गगज की सीमा निर्धारित नहीं थी। इस आधार पर आलौच्य पट्टा सं. 39 के बाबत प्रार्थीगण साबित नहीं कर सके हैं तथा रेकर्ड के अभाव में धारा 97 के तहत उक्त पट्टे की वैधता, नियमितता एवं पूर्णता की पहलु पर जांच संभव नहीं होने से प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज योग्य हैं।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दोनो निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किये जाते है।

9. निर्णय आज दिनांक 30.12.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Ansh

(अंशदीप)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2020.01.23 11:06:51 IST
Reason: SelfAttested
Location: